

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री उत्सव कौशल, आई.ए.एस.
एन संख्या 86/2018

उनवान

श्री दयाराम पुत्र श्री पोखर रेगर निवासी औज्याडा तहसील हमीरगढ

—प्रार्थी

बनाम

श्री लादुलाल पिता मांगीलाल रेगर नि० औज्याडा तहसील हमीरगढ

श्री लोभचन्द पिता श्री गोकल बलाई नि० औज्याडा तहसील हमीरगढ

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ

—अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 12.02.2019**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत इस कार्यालय में दिनांक 28.09.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औज्याडा हल्का औज्याडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र व तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि नम्बर 2209/2033 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी हैं एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.09.2018 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के तब उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 03 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के लिए उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व का हानि किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम औज्याडा पटवार औज्याडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र व तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 2209/2033 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैंड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, और कमीशनर फीस 500/- रु० की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमीशनर को देकर करें।

आदेश आज दिनांक 12.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल होकर दाखिल दफतर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ.